FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

सताराम बनाम डूंगाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा॰ काश्त॰ 111, 128 RLRAct नं. 22/19 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08/01/19	~~प्रार्थी~~/वादी/अपीलांट के वकील श्री जगदीश गोदारा ने यह ~~प्रार्थना पत्र~~/वाद/अपील धारा 111, 128 RLRAct राजस्थान काश्तकारी/भू ~~राजस्व~~ अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। ~~विप्रार्थी~~ /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 18/02/19 को पेश हो।	सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
18/02/19	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-3 व 5 की ओर से वकील श्री रिणछाराम सियाग द्वारा अण्डर टेकिंग ली गई। शेष विप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 27/03/2019 को पेश हो।	undertaking 3 व 5 18/2/19
27/03/19	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 व 5 के वकील उप०। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 22/04/19 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested

22/04/19 प्रार्थी व विपार्थी संख्या-3 व 5 के वकील उपस्थित। विपार्थी वकील द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 11/06/19 को पेश हो।

11/06/19 प्रार्थी व विपार्थी संख्या-3 व 5 के वकील उप०। विपार्थी संख्या-3 की ओर से वकील श्री रिछपाल सियाग द्वारा वकालतनामा ~~[illegible]~~ पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 16/09/19 को पेश हो।

16/09/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 27/11/19 को पेश हो।

27/11/19 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर पधारे हुए है अतः मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 18/02/2020 को पेश हो।

18/02/20 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 24/02/20 को पेश हो।

24/02/20 वकुलाय फरीकैन उपस्थित। विपार्थी वकील द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया, आइन्दा पेश करना चाहते है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इन्तजार होकर आगामी दिनांक 18/03/2020 को पेश हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested

१५

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18/03/20	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 व 5 के वकील उप०। विप्रार्थी संख्या-3 की ओर से विप्रार्थी वकील द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी प्रति प्रार्थी अधिवक्ता को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं किया गया पूर्व में पर्याप्त अवसर दिये गये, पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी विप्रार्थी संख्या-5 के अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा व जवाब पेश नहीं करने पर विप्रार्थी संख्या-5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 20/05/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
20/05/20	पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोई नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल इलतवा होकर आगामी दिनांक 24/09/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
24/09/20	प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या-3 के वकील उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ मेढ़ आये हुए है प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खेतों के मध्य जो पुरानी मेढ़ व ढोरे आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है जिससे प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ध्यान नहीं पड़ पाता है। प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढ़ो को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है प्रार्थी को अपने खेत के सेढ़ो का सही ज्ञान करने हेतु पैमाइशबन्दी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का पैमाइशबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर पैमाइशबन्दी आदेश किया जावे। जबकि विप्रार्थी संख्या-3 के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया की प्रार्थी द्वारा अपने खेत का सीमाज्ञान नहीं	

(हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	करवाया है तथा सीमाज्ञान करवाकर प्रार्थी अपने खेत की नेयमबन्दी कर सकता है। यदि विपक्षी के खेत की सीमाऐं प्रभावित नहीं होती है तो प्रार्थी अपने खेत की नेयमबन्दी करवा सकता है। अतः दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनने के बाद प्रार्थी का नेयमबन्दी कार्य का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर नियुक्त व सम्बंधित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर बाद सीमाज्ञान प्रार्थी के खेतों की पक्की नेयमबन्दी कार्य स्वयं या सहायक कमिश्नर से मौके पर कमिश्नर रिपोर्ट जमा करावे, पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली मिसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर अहकाम हुक्म की ता. में जारी हुए

राजस्थान—सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु

क्र.क / वाद / 2020 / 723 दिनांकः– 24/09/2020

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सताराम पुत्र पुनमाराम जाति जाट निवासी चवा नाडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर		1. दुदाराम पुत्र पुनमाराम (16) वगैरा निवासी चवा नाडा तहसील बायतु जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 22 / 19

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा चवा नाडा पटवार हल्का कोसरिया तहसील बायतु जिला बाड़मेर के खेत खसरा नम्बर 80 / 317 रकबा 28.00 बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है वह तहसीलदार बायतु को कमीशनर व संबंधिंत भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है। कि कमीशनर स्वंय या सहायक कमीशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान कर बाद सीमाज्ञान पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनर शुल्क रूपयें 500 जमा करा कर करें एवं पालना रिपार्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर संबंधित थाना अधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / वाद / 2020 / 724-728 दिनांकः– 24/09/2020

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री सताराम
4. विप्रार्थीगण दुदाराम वगैरा
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, गिड़ा / बायतु / नागाणा ।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.31 14:33:23 IST
Reason: SelfAttested